छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2511121, Fax : 2511122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र. 25 /संपदा/एफ–36/2023 नवा रायपुर दिनांक 30/05/2023

// आदेश //

विषय–नवा रायपुर अटल नगर सामान्य आवास योजना सेक्टर–12 में आबंटियों के लेजर खाता **मे विलंब** अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने बाबत्।

---000---

विषयांतर्गत **स्ववित्तीय योजनातर्गत** (केवल निर्मित भवनों के लिए) विलब अवधि की **ब्याज** राशि में एकमुश्त राशि जमा करने पर 50 प्रतिशत छूट दिनाक 30/06/2023 तक देने आदेश है। संपदा अधिकारी, राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र–नवा रायपुर द्वारा पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि, सामान्य आवास योजना सेक्टर–12 के आबंटियों के लेजर खाते में विलंब **अवधि की ब्याज राशि** की **गणना पर** 50 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए आबंटियों को भवना में **बकाया राशि एकमुश्त जमा करने सूचित किया गया** है, परन्तु आवंटियों का लेजर खाता **तैयार** करने पर **उनके** द्वारा **देय** दिनांक **के** पूर्व राशि जमा करने पर मण्डल द्वारा ब्याज प्रदान भी किया गया है। मण्डल आदेश क्रमांक 13 दिनांक 07.03.2023 मे केवल यह लेख है कि यदि आवंटी बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त करता है तो उसे विलब अवधि की ब्याज राशि में छूट **प्रदान** किया जायगा। आदेश में **यह स्पष्ट नहीं है** कि जिन हितग्राहियों को पूर्व में राशि भुगतान **करने पर ब्याज प्रदान किया गया है। इनको किस प्रकार ब्याज में छूट प्रदान किया जावें।** तत्संबंध मे संपदा अधिकारी, राजधानी परियोजना प्रक्षेत्र–नवा रायपुर अटल नगर द्वारा उपरोक्तानुसार प्रकरणों मे ब्याज की गणना का लाभ किस प्रकार आबंटियों को प्रदान किया जावें के संबंध में मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया है।

उक्त प्रकरण का परीक्षण कर अभिमत हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।

1. अपर आयुक्त, मुख्यालय नवा रायपुर – अध्यक्ष
2. मुख्य लेखा अधिकारी, मण्डलालय नवा रायपुर – सदस्य
3. मुख्य संपदा अधिकारी, मुख्यालय नवा रायपुर – सदस्य सचिव
4. कार्यपालन अभियंता, राजधानी परियोजना संभाग नवा रायपुर – सदस्य

उपरोक्त समिति अपना प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

क्रमशः–02

पृ.क. 1136/संपदा/एफ--66/2023 नवा रायपुर, दिनॉक 30/05/2023

प्रतिलिपि:--

1 स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला--रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2 अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3 मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला--रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4 पदासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला--रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5 कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, राजधानी परियोजना संभाग नवा रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

30/5/2023

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर